



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1920]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 18, 2014/भाद्र 27, 1936

No. 1920]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 18, 2014/BHADRA 27, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2014

**का.आ. 2442(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अधीन डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग 9 के सोलापुर (249.000 कि.मी.)—महाराष्ट्र/कर्नाटक सीमा (348.800 कि.मी.) खण्ड को चार लेन का बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और मैसर्स सोलापुर टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड के बीच 29.02.2012 को हुए रियायत करार के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, एतद्वारा भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 2304(अ), तारीख 29.09.2008, जो भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गयी थी, को रद्द करती है।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/755/सीओ/13-14/जीसी/सोलापुर-महाराष्ट्र/कर्नाटक सीमा खण्ड-बीओटी]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव,

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi the 18th September, 2014

**S.O. 2442(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, the Central Government hereby rescinds the Notification No. S.O. 2304(E), dated 29-09-2008 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) of Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) in view of the provisions in the Concession Agreement entered on 29-02-2012 between National Highways Authority of India and M/s. Solapur Tollways Private Limited for Four Laning of Solapur (km. 249.000)—Maharashtra/Karnataka Border (km. 348.800) Section of NH-9 in the State of Maharashtra under NHDP Phase-III on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis.

[F. No. NHAI/13013/755/CO/13-14/GC/Solapur- Maharashtra/Karnataka Border Section—BOT]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.